5/4/18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 5/6/18 को पेश हो।

31/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प बूढादीत में पेश हुई। वादी नं0 2 महावीर मजमें आम में उपस्थित। महावीर ने कथन किये कि वादी की मृत्यु हो चुकी है तथा विधि जा. अन्शुल एवं आशुतोष तथा बेवा उनके कायम मुकामान है, जिनको रिकॉर्ड पर लिया जाता है। वादी को सुना गया। वादी ने कथन किये कि हमारें खाते की भूमि ख0नं0 ग्राम बूढादीत में ख0नं0 589/1377 रकबा 0.40 हे0 स्थित है। उक्त आराजी मौके पर पूरी है किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस छोटा बनाया गया है। जिसे राजस्व जमाबंदी के अनुसार नक्शें में अंकित किया जावें तथा नक्शा दुरूस्त किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ता... जो किस ... तामील में ज... |
|---|---|---|
| | गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादीगण नें अपनें वाद पत्र को सिद्ध करनें के लिए मात्र वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की है। मौके के अनुसार राजस्व मानचित्र छोटा बनाया गया है, पूर्णतया प्रमाणित नहीं है। न ही वादीगण द्वारा समुचित साक्ष्य प्रस्तुत की गई। जिससे वादीगण को रिलीफ दिया जान उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें ३।म में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बूढादीत

## उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र गौरी शंकर मृतक जरिये कायम मुकामान–

   1/1. गिरिजा बेवा अशोक कुमार

   1/2. अन्शुल पुत्र अशोक कुमार नाबालिग

   1/3. आशुतोष पुत्र अशोक कुमार नाबालिग जरिये वली माता गिरिजा जाति मीना

2. महावीर प्रसाद पुत्र गौरी शंकर जाति मीना निवासीगण बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 64/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.05.2018 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद



रकबा मौके पर पूरा है किन्तु राजस्व

Scanned by CamScanner